रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3492] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939
No. 3492] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3993(अ).—यत: हिमाचल प्रदेश राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में 'रीसस मकाक' बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती के विनाश होने सहित जीवन और संपत्ति की हानि होने की रिपोर्ट दी है;

और केंद्रीय सरकार वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों की क्षति को कम करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय संख्या को संतुलित करना आवश्यक समझती है;

और इसलिए अब केंद्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-I की क्रम संख्या 17-क पर सूचीबद्ध रीसस मकाक (*मकाका मुलाटा*) को पीड़क जंतु के रूप में घोषित करती है और हिमाचल प्रदेश के नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची-5 में सम्मिलित करती है, अर्थात:—

क्रम सं.	जिला	तहसीलों की संख्या	क्षेत्र (तहसीलों के नाम)
1	चंबा	4	डलहोज़ी, भटियात, शिहुंता, चंबा
2	कांगरा	7	नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, जवाली, कांगड़ा, पालमपुर, वरोह
3	ऊना	5	भरवैन, अम्ब, ऊना, हरौली, बंगाना
4	बिलासपुर	4	घुमारविन, नैनादेवी, बिलासपुर, सदर, नामहोल
5	शिमला	3	शिमला ग्रामीण, रामपुर, नेरवा, शिमला नगर निगम सीमा
6	सिरमौर	5	पच्छाद, राजगढ़, रेणुका, शिलाई, कामरऊ
7	कुल्लु	3	मनाली, कुल्लु, सैन्ज

8	हमीरपुर	2	बदसर, बिजहारी
9	सोलन	4	नालागढ़, कसौली, सोलन, दरलाघाट
10	मंडी	1	सुंदरनगर

रीसस मकाक (*मकाका मुलाटा*) का अनुसूची-5 में शामिल किया जाना हिमाचल प्रदेश राज्य के वन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।

[फा. सं. 1-26/2015-डब्ल्यूएल-(भाग)]

सिद्धान्त दास, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

S.O. 3993(E).—Whereas, the State of Himachal Pradesh has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Rhesus Macaque monkeys in areas outside forests:

And whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of this species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declare Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*), listed at serial number 17-A of Part I of Schedule II to the said Act, as vermin and included in Schedule V of the said Act, for a period of one year from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, in the areas of Himachal Pradesh specified below, namely:

S. No.	District	No. of Tehsils	Areas (Name of Tehsils)
1	Chamba	4	Dalhousie, Bhatiyat, Sihunta, Chamba
2	Kangra	7	Nurpur, Indora, Fatehpur, Jawali, Kangra, Palampur, Baroh
3	Una	5	Bharwain, Amb, Una, Haroli, Bangana
4	Bilaspur	4	Ghumarwin, Nainadevi, Bilaspur Sadar, Namhol
5	Shimla	3	Shimla Rural, Rampur, Nerwa. Shimla Municipal Corporation Limits
6	Sirmour	5	Pachhad, Rajgarh, Renuka, Shillai, Kamrau
7	Kullu	3	Manali, Kullu, Sainj
8	Hamirpur	2	Badsar, Bijhari
9	Solan	4	Nalagarh. Kasauli, Solan, Darlaghat
10	Mandi	1	Sundarnagar

The inclusion of Rhesus macaque (*Macaca mulatta*) in Schedule V shall not be applicable in the forest areas of the State of Himachal Pradesh.

[F. No. 1-26/2015-WL-(Pt.)]

SIDDHANTA DAS, Director General of Forests & Special Secy.

RAKESH SUKUL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

P.T.O.